संख्या-352/2021/740रासनि/23-1-21-68रासनि/20टीसी

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभा गाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 17 दिसम्बर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 34 मार्गों के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों/प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 34 मार्गों के कार्य हेतु कुल लागत रू0 32,87,34,000/- (रूपये बत्तीस करोड़ सत्तासी लाख चौंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल रू0 3,28,74,000/- (रूपये तीन करोड़ अट्ठाईस लाख चौहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि ये कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यो को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा ।

(3) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75,दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट (सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों पर दिनांक 01-4-2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक-"1054-00-800-05-00-00"में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

(4) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-3280(1)/23-9-05-25-20एसी/05, दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313-23-9-2013-20एसी/04टीसी, दिनांक 14.03.13 में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक"1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-04-टूल्स एवं प्लाण्ट की प्राप्तियां" में जमा करायी जायेगी ।

(6) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(7) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2022 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(9) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है । विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(10) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(13) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमत: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण-0024-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और अन्तत: लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण (8225)-24-वृहत निर्माण कार्य" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-352/2021/740रासनि(1)/23-1-21, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
8. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
9. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
10. लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
11. नोडल अधिकारी (ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0–352/2021/740रासनि/23–1–21–68रासनि/20टीसी, दिनांक 17.12..2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता, मु0–1 का पत्रांक	जनपद	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	2820/(54–सी)/ समग्र वृत्त/ 2021–22, दिनांक 16.07.21	Ambedkar nagar	बेलापरसा मार्ग से दौलतपुर महमूदपुर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.300	128.76	12.88
2.	4510/(54–7)/ समग्र वृत्त/ 2021–22, दिनांक 27.10.21	Amroha	ग्राम अपरौला के चौराहे से ग्राम तख्तपुर के सरकारी स्कूल तक के मध्य मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य।	1.250	99.51	9.95
3.	4510/(54–7)/ समग्र वृत्त/ 2021–22, दिनांक 27.10.21	Amroha	कुरी से ग्राम खालकपुर के मध्य निर्माण कार्य (मिसिंग लिंक)	1.680	140.64	14.06
4.	4705/(54–7)/ समग्र वृत्त/ 2021–22, दिनांक 09.11.21	Amroha	नवाबपुरा से प्रेमनगर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (मिसिंग लिंक)	1.500	115.60	11.56
5.	4705/(54–7)/ समग्र वृत्त/ 2021–22, दिनांक 09.11.21	Amroha	भूतपुरा से नेकपुर जू0हा0स्कूल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य (मिसिंग लिंक)	1.200	74.30	7.43
6.	4503/(54–सी)/ समग्र वृत्त/ 2021–22, दिनांक 27.10.21	Ayodhya	विकास खण्ड मया में अंकारीपुर मार्ग से मझगवां होते हुये आनापुर सरैया तक मार्ग का निर्माण कार्य।	2.500	175.89	17.59
7.	4503/(54–सी)/ समग्र वृत्त/ 2021–22, दिनांक 27.10.21	Ayodhya	रायपुर कंजी मार्ग से देवरा घटौली चौराहा तक सम्पर्क मार्ग।	1.900	126.35	12.64
8.	4944/(54–7)/ समग्र वृत्त/ 2021–22, दिनांक 24.11.21	Azamgarh	कंजरा दिशादपुर मार्ग के किमी0–6 में स्थित गोपईपुर से भदौड़ सम्पर्क मार्ग	0.900	48.04	4.80
9.	2966/(54–सी)/ समग्र वृत्त/ 2021–22, दिनांक 28.07.21	Balia	बड़सरी लोहटा नहर के पटरी से विश्वनाथ चौधरी के घर से रतन के पोखरा होते हुये धसका मनियर के पास नहर की पटरी तक मार्ग का निर्माण कार्य	2.200	131.58	13.16
10.	2966/(54–सी)/ समग्र वृत्त/ 2021–22, दिनांक 28.07.21	Balia	देवडीह हरदत्तपुर नहर पटरी से जी0डी0 पब्लिक स्कूल कनकपुरा हरदत्तपुर से प्रा0पा0 डुही मुंशी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1.300	89.86	8.99
11.	5057सी/366सी/ बलिया भाग–24/ 20–21, दिनांक 13.10.21	Balia	टी0एस0 बंधा महाराजपुर से ग्रामसभा चांदपुर मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 सहित पुनर्निर्माण का कार्य	0.750	39.77	3.98
12.	5057सी/366सी/ बलिया भाग–24/ 20–21, दिनांक 13.10.21	Balia	बलिया बांसडीह से सहपुरवा मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 सहित पुनर्निर्माण का कार्य	0.700	37.02	3.70
13.	5057सी/366सी/ बलिया भाग–24/ 20–21, दिनांक 13.10.21	Balia	जोगी बाबा स्थान से टी0एस0 बंधा के आबादी भाग में सी0सी0 सहित पुनर्निर्माण का कार्य	0.700	37.09	3.71
14.	4389/(54–7)/ समग्र वृत्त/ 2021–22, दिनांक 21.10.21	Chandauli	शहाबगंज के चकिया चन्दौली मार्ग से गजधरा प्रा0 स्कूल तक आबादी भाग में सी0सी0, नाली, पुलिया एवं मार्ग निर्माण कार्य	1.500	210.32	21.03
15.	4940/(54–7)/ समग्र वृत्त/ 2021–22, दिनांक 24.11.21	Chitrakoot	एन0एच0–35 के किमी0–143 से चन्दई सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1.250	62.76	6.28
16.	4940/(54–7)/ समग्र वृत्त/ 2021–22, दिनांक 24.11.21	Chitrakoot	ग्राम मऊ मुस्तकिल का मजरा गेरूहा लोखरी का डेरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.500	40.90	4.09
17.	4940/(54–7)/ समग्र वृत्त/2021–22, दिनांक 24.11.21	Chitrakoot	ग्राम मनकुंवार का मजरा मऊ परदवा मार्ग से धोबिन का पुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1.000	80.10	8.01
18.	4940/(54–7)/ समग्र वृत्त/ 2021–22, दिनांक 24.11.21	Chitrakoot	ग्राम बरवार का मजरा दीना का डेरा से चक्की के डेरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.300	25.39	2.54

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

19.	4485 / (54–सी) / समग्र वृत्त / 2020–21, दिनांक 27.10.21	Deoria	ग्रामसभा बतरौली पाण्डेय में सरकारी ट्यूबवेल होते हुए विनोद पाण्डेय के घर की तरफ से वोडाफोन टावर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	1.100	76.23	7.62
20.	4389 / (54–7) / समग्र वृत्त / 2021–22, दिनांक 21.10.21	Ghazipur	बौरवां से बरवां देवकली पम्प नहर की पटरी खुटहीं सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	7.400	457.56	45.76
21.	4554 / (54–7) / समग्र वृत्त / 2021–22, दिनांक 29.10.21	Ghazipur	रामकरन यादव के स्कूल से सुदर्शन राम के मकान तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1.000	66.25	6.63
22.	4554 / (54–7) / समग्र वृत्त / 2021–22, दिनांक 29.10.21	Ghazipur	वोडाफोन एयरटेल टॉवर से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे (बिजौरा) तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1.000	55.94	5.59
23.	4938 / (54–7) / समग्र वृत्त / 2021–22, दिनांक 24.11.21	Ghazipur	अनौनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हुए यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1.140	66.56	6.66
24.	4938 / (54–7) / समग्र वृत्त / 2021–22, दिनांक 24.11.21	Ghazipur	ईशोपुर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.900	45.60	4.56
25.	4938 / (54–7) / समग्र वृत्त / 2021–22, दिनांक 24.11.21	Ghazipur	नगवां सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.900	47.37	4.74
26.	4938 / (54–7) / समग्र वृत्त / 2021–22, दिनांक 24.11.21	Ghazipur	परसनी कलां हरिजन बस्ती द्वितीय सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.700	35.93	3.59
27.	4938 / (54–7) / समग्र वृत्त / 2021–22, दिनांक 24.11.21	Ghazipur	घूरेपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1.000	51.72	5.17
28.	4938 / (54–7) / समग्र वृत्त / 2021–22, दिनांक 24.11.21	Ghazipur	अनौनी राजभर बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.750	35.13	3.51
29.	4938 / (54–7) / समग्र वृत्त / 2021–22, दिनांक 24.11.21	Ghazipur	शंकरपुर उर्फ सिंहपुर यादवपुरा पूर्वी बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1.500	67.62	6.76
30.	4938 / (54–7) / समग्र वृत्त / 2021–22, दिनांक 24.11.21	Ghazipur	पोखरा मोड उचौरी मार्ग से छपरा हरिजन बस्ती होते हुए अनौनी डढवल सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	2.000	97.06	9.71
31.	4938 / (54–7) / समग्र वृत्त / 2021–22, दिनांक 24.11.21	Ghazipur	कोटिसा से डीग्री कालेज होते हुए ताजपुर मोलना तक सम्पर्क मार्ग एवं छलका का निर्माण कार्य	1.500	135.93	13.59
32.	4434 / (54–7) / समग्र वृत्त / 2021–22 दिनांक 22.10.21	Gonda	गोण्डा बेलसर मार्ग से कोरीपुरवा, पाठकपुरवा, पण्डितपुरवा होते हुए मीरपुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	2.400	165.94	16.59
33.	4757 / (54–7) / समग्र वृत्त / 2021–22, दिनांक 12.11.21	Gonda	बालपुर कैथोला सम्पर्क मार्ग से डालपुरवा, अखूनपुरवा, छत्तरपुरवा होते हुए भुलभुलिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	2.500	202.22	20.22
34.	2565 / (54–7) / समग्र वृत्त / 2021–22, दिनांक 02.07.21	Gorakhpur	मुख्य मार्ग से जनता इण्टर कालेज तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	0.150	16.40	1.64
कुल योग					**3287.34**	**328.74**

(राज कुमार)
अनु सचिव ।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in